मध्य प्रदेश शासन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन–462004
:: आदेश::

भोपाल, दिनांक 27/04/2022

क्रमांक 6।195 /4332/2015/पैंतीस::डॉ0 जी0डी0वर्मा, तत्कालीन उप संचालक,पशु चिकित्सा सेवायें जिला नीमच, वर्तमान उप संचालक जिला–धार, मध्यप्रदेश को पदस्थ अवधि के दौरान अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्व सघन बकरी योजना के नाम पर भारी वित्तीय/आर्थिक अनियमितता तथा शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों को न पहुंचाते हुए चहेते लोगों को योजना का लाभ प्रदान कर लाखों रूपये के गबन किए जाने के संबंध में विभागीय पत्र दिनांक 17.11.2021 द्वारा निम्नांकित बिदुओं पर कारण बताओ सूचना जारी किया गया:–

(I)यह कि आप कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला नीमच के पद पर वर्ष 2011–12 में पदस्थ थे। आपकी पदस्थ अवधि के दौरान अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्व सघन बकरी योजना के नाम पर भारी वित्तीय/आर्थिक अनियमितता तथा शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों को न पहुंचाते हुए चहेते लोगों को योजना का लाभ प्रदान कर लाखों रूपये के गबन किए जाने के संबंध में संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, उज्जैन से जांच कराई गई।

(II) आपके अधीनस्थ पशु चिकित्सालय जावद तथा नीमच, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र नीमच में योजना का लाभ हितग्राहियों को प्राप्त होना नहीं पाया गया।श्री चैनराम पिता गोपाल ग्राम रूपाहेली वि.खं.जावद एवं श्री सुरेश पिता जमनालाल ग्राम सुठोली वि.खं जावद हितग्राहियों को योजना का वास्तविक लाभ मिलना नहीं पाया गया। श्री जमनालाल नारायण ग्राम सुठोली श्री प्रमचंद मूलचंद मुराजी ग्राम कुचडोद, श्री धीसालाल मोहनलाल बेरवा ग्राम नेवड़, श्री चैनराम गोपाल रेमर ग्राम रूपाहेली, श्री अशोक कुमार केशुराम ग्राम कुचडीद इन पांच हितग्राहियों की बकरियों में बीमा होना नहीं पाया गया न ही बकरियां पाई गई। विभाग द्वारा पशु आहार एवं बकरियों को पशु आहार खाने हेतु आवश्यक सामग्री धमेला, तमारी, तरला नियमानुसार क्रय कर हितग्राहियों को प्रदान किया जाना था, जो अपने स्तर से क्रय न कर हितग्राहियों को क्रय करने हेतु निर्देशित किया गया।

2/ उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर डॉ0 वर्मा द्वारा संचालक पशुपालन के माध्यम से दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत किया गया।

3/ संचालक पशुपालन ने डॉ0 वर्मा द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर अभिमत देते हुए लेख किया कि डॉ0 वर्मा जिले के उप संचालक के तौर पर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार थे। मात्र फंड ट्रांसफर कर वे जबावदेही से मुक्त नहीं हो सकते। यदि वे योजना की मॉनिटरिंग करते थे समस्त बकरियां बीमित पाई जाती व भौतिक सत्यापन में त्रुटि नहीं पाई जाती।

4/ डॉ0 वर्मा द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं संचालक पशुपालन के प्रस्तावानुसार प्रकरण में

..2..

कोई वित्तीय/आर्थिक अनियमितता नहीं पाए जाने के कारण राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमाक एफ–7–35/97/आप्र/एक, दि0 12.11.1997 में निहित निर्देशानुसार डॉ0 जी0डी0वर्मा तत्कालीन उप संचालक नीमच, वर्तमान उप संचालक जिला–धार, को भविष्य के लिये सचेत करते हुए प्रकरण समाप्त करने का निर्णय करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
27/04/2022
(सुनील मड़ावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन,पशुपालन एवं डेयरी विभाग

पृ0 कमांक 1195/4332/2015/पैंतीस: दिनांक–27/04/2022

प्रतिलिपि+–

1/विशेष सहायक मान0 मंत्री जी पशुपालन एवं डेयरी,
2/निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
3/संचालक, पशुपालन, मध्यप्रदेश भोपाल,
4/संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं इंदौर/उज्जैन संभाग,
5/उप संचालक, पशु चिकित्सा सेंवाएं धार/नीमच,
6/ डॉ0 जी0डी0वर्मा, तत्कालीन उप संचालक नीमच, वर्तमान उप संचालक जिला–धार,,
की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7/वेबसाइट प्रभारी की ओर अपलोड करने बावत।
8/स्टॉक फाइल.

mis
28 APR 2022

27/04/2022
अवर सचिव
म.प्र.शासन,पशुपालन एवं डेयरी विभाग